सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1554/2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

पुष्पा देवी पत्नि सूरजमल जाति ब्राहम्ण निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
2. रतन पुत्र गोपी जाति जाट
3. कैलाशचन्द पुत्र गोपी जाति जाट
4. बरदी पत्नि रामधन जाति जाट
5. रामाअवतार पुत्र रामधन जाति जाट
6. इन्द्रा पुत्री रामधन जाति जाट
7. काना पुत्र हरजी जाति जाट
8. लाली देवी पत्नि सत्यनारायण जाति तेली
9. आशा देवी पत्नि सुरेशचन्द जाति तेली

समस्त निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 128, राज. भू राजस्व अधि.

निर्णय

दिनांकः–28.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सदारा में पेश हुई। वादीया/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीया ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा **128, राज. भू राजस्व** के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीया की वादग्रस्त आराजी **वाके कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खसरा नम्बर 1047, 1048, 1058, 1059, 1060 किता 5 कुल रकबा 2.58 हैक्ट. भूमि वादीया के नाम दर्ज खातेदार है। वादग्रस्त आराजीयात वादीया के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में चली आ रही है। उक्त आराजीयात में अप्रार्थीगण 2 लगायत 9 द्वारा स्थायी चिन्ह नही होने से वादीया से लडाई–झगडा करते रहते है। उकत वादग्रस्त आराजीयात का वादीया द्वारा नापचोक कर स्थायी पत्थरगढी एवं सीमा चिन्ह करवाने हेतु** यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादीया का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण 2 लगायत 7 व 9 बावजूद सूचना के बार–बार आवाजे लगाने पर भी हाजिर न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली आज केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सदारा में पेश हुई।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकारान को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादीया की स्वयं की खातेदारी की आराजीयात होने से वादीया का वाद प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वाद पत्र का संतुलन भी वादीया के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादीया का दावा **वाके कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खसरा नम्बर 1047, 1048, 1058, 1059, 1060 किता 5 कुल रकबा 2.58 हैक्ट. भूमि** की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी